

डार्कवेब पर यह डाटा बेचने के लिए की थी 500 डॉलर की पेशकश

डार्कवेब पर अग्निवीरों का डाटा बेच रहा किशोर दबोचा

हैरतअंगेज

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डार्क वेब पर अग्निवीरों का डाटा बेचने की कोशिश कर रहे एक किशोर को पकड़ा है। 14 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर एक सरकारी वेबसाइट हैक कर 4000 अग्निवीरों का डाटा चुरा लिया था। अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से आरोपी को पकड़ा। उसने पूर्व अग्निवीरों के पेंशनकरण और सरकारी विभागों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनी टेस्ट वेबसाइट में सेंध लगाई थी।

बिक्री के लिए विज्ञापन दिया : मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नाबालिग ने वेबसाइट से डाटा निकालने के बाद आरोपी ने डार्क वेब पर विज्ञापन देकर 4,000 अग्निवीरों की निजी जानकारी होने का दावा किया और इसे 500 डॉलर (करीब 42 हजार रुपये) में बेचने की पेशकश की।

परिजनों को सौंपा गया किशोर : पुलिस ने कानून के प्रावधानों के तहत नाबालिग को हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ की और बाद में उसे उसके परिवार को सौंप दिया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। यह पता लगाया जा रहा है कि वेबसाइट में सेंध कैसे लगाई गई और क्या किसी तीसरे पक्ष ने यह डाटा खरीदा या एक्सेस किया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल के कार्यकाल के लिए युवाओं की भर्ती हेतु 'अग्निपथ योजना' शुरू की थी।

एआई टूल्स के इस्तेमाल की आशंका: जांच में यह बात सामने आई है कि वेबसाइट को हैक करने और डेटा निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स का इस्तेमाल किया गया था।

दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने किशोर के डिजिटल उपकरणों से डेटा बरामद किया है। अब बरामद किए गए डाटा की सत्यता जांचने और सेंधमारी के दायरे का पता लगाने के लिए पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। मंत्रालय से अग्निवीरों का आधिकारिक डेटाबेस मांगा गया है ताकि बरामद जानकारी का उससे मिलान किया जा सके।

पोर्टल पर केवल 'टेस्ट डाटा' ही उपलब्ध था



सरकारी सूत्रों के मुताबिक घटना तब हुई, जब वेबसाइट का सुरक्षा ऑडिट चल रहा था और इसे केवल परीक्षण के लिए खोला गया था। पोर्टल पर सिर्फ 'टेस्ट डाटा' था। हैकिंग की जानकारी मिलते ही वेबसाइट को तुरंत बंद कर दिया गया। सुरक्षा ऑडिट के बाद वेबसाइट आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई, जिसके बाद से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।

एआई पर शोध के लिए 46 करोड़ देगी गूगल

नई दिल्ली। गूगल ने शनिवार को घोषणा की कि वह उन्नत कृत्रिम मेधा (एआई) अनुसंधान को विकसित करने और गति देने के लिए आईआईटी खड़गपुर को 50 लाख डॉलर (करीब 46 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता देगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि अनुप्रयुक्त एआई अनुसंधान के लिए इस वित्तीय सहायता की परिकल्पना संस्थान के पूर्व छात्र एवं गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने की है।

अमेरिका में वांछित भगोड़े गोल्डी बराड़ की तलाश तेज

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 10 वांछित भगोड़ों में शामिल सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ की तलाश तेज कर दी है। उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वालों को 9.26 करोड़ (10 लाख डॉलर) का इनाम दिया जाएगा। एफबीआई ने कहा, बराड़ को अमेरिकी अदालत में पेश करने तक उसकी तलाश जारी रहेगी। एफबीआई के लॉस एंजिल्स फील्ड कार्यालय के प्रभारी सहायक निदेशक पैट्रिक ग्रैंडी ने शनिवार को कहा कि बराड़ पर कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं, जिसके लिए उसपर मुकदमा चलाया जाना है। हम तब तक उसकी तलाश जारी रखेंगे, जब तक कि उसे अदालत में पेश नहीं कर देते।



गोल्डी बराड़

ग्रैंडी ने कहा कि बराड़ ने जो अपराध किए हैं, उससे अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रभावित हुए हैं। ग्रैंडी ने बताया कि एजेंसी ने बीते सितंबर में बराड़ को अपनी 10 वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल किया था।

सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी: भारत

नई दिल्ली। भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि सिंधु जल समझौता पर भारत का रुख बेहद स्पष्ट है और इसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। एमईए ने यह बयान दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने के लिए पाक के मंत्री मुसादिक मलिक के भारत पहुंचने के बीच जारी किया।

नीट पेपर लीक मामले में 14 लोगों पर आरोप तय

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक मामले में शनिवार को अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए हैं। साथ ही मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया।

■ सभी के खिलाफ मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया

विशेष जज अजय गुप्ता की अदालत ने आरोपियों के खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार करने के बाद उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने इससे पहले कहा था कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार व परीक्षा से संबंधित अनियमितताओं सहित विभिन्न अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने कहा था कि तीन मुख्य आरोपी मनीषा गुरुनाथ मांढरे, पीयूष कुलकर्णी व मनीष संजय हलवदार लोक सेवक थे क्योंकि वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जुड़े हुए थे। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने सह-आरोपियों के साथ साजिश कर गोपनीय प्रश्नपत्र अवैध रूप से हासिल किए थे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
कार्यालय: चंदर मुखी, नरीमन पवाइंट, मुंबई-400021
शाखा कार्यालय: ट्रेड्स एसेट मैनेजमेंट शाखा, 346, स्टैंडर्ड बिल्डिंग, द्वितीय तल, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001

चल / अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002- के नियम 6 (2), 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित अपल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा सामान्य जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों, जो सुरक्षित ऋणदाता /सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) के पक्ष में बंधक / प्रभारित है, जिनका भौतिक कब्जा / प्रतीकात्मक कब्जा (जैसा कि संपत्ति के सामने विशेष रूप से अंकित है) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार उधारकर्ताओं एवं जमानतकर्ताओं से सुरक्षित ऋणदाता को देय राशि की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है के आधार पर बेचा जाएगा।

अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार एक संपत्ति पर कोई भार / अवरोध (एन्कम्ब्रेंस) नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने से पूर्व नीलामी हेतु रखी गई संपत्ति / संपत्तियों के भार स्वाभित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के दावों / अधिकारों / देयताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच-पड़ताल स्वयं करनी चाहिए। प्रत्येक संपत्ति के समा आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम जमानत राशि का विवरण भी नीचे उल्लिखित है।

ई-नीलामी	निरीक्षण की तिथि एवं समय	बोली राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
क्र.सं. 1	2 दिसंबर 2026, दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे तक	9 दिसंबर 2026, दोपहर 12:00 बजे	09 दिसंबर 2026, प्रातः 10:00 बजे से 6:00 बजे तक

क्र. सं.	उधारकर्ता / जमानतकर्ता / बंधककर्ता का नाम एवं शाखा का संपर्क नंबर	मांग नोटिस की तिथि एवं देय राशि (लाख में)	समपत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक / प्रतीकात्मक)	आरक्षित मूल्य / अग्रिम जमानत / बोली वृद्धि (लाख में)
1	मेसर्स म्यूज गार्व प्राइवेट लिमिटेड, श्री उदय प्रताप सिंह (निदेशक/गारंटर), काव्या अमित सिंह (निदेशक/गारंटर) माधव जगदीश अग्रवाल (निदेशक/गारंटर), म्यूज कारा एंड शुगरकेन मफतलाल लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर) स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच, सुश्री शिल्पा आनंद मोबाइल नंबर: 9004374559	28.03.2018 रु. 1640.48 लाख (21.03. 2018 तक) साथ ही ब्याज और अन्य शुल्क	संपत्ति आई डी CBINMEUSELKO01 पता: प्रथम तल, दुकान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 (कुल 13 दुकानें), विजय टॉवर, प्लॉट संख्या- सी पी-1, वास्तु खंड, वार्ड नम्बर-12, तुलिप अपार्टमेंट और फिनहट कॉलोनि के पास, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश बंधककर्ता का नाम: श्री उदय प्रताप सिंह विक्रय विलेख के अनुसार क्षेत्रफल: 3255.23 वर्ग फीट स्थल पर उपलब्ध क्षेत्रफल लगभग : 5000 वर्ग फीट	भौतिक	360.00/ 36.00/ 3.00

नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से आयोजित की जाएगी ई-नीलामी एजेंसी https://baanknet.com/ ई-नीलामी एजेंसी संपर्क विवरण: पीएसबी एलायंस ई विक्रय हेल्पडेस्क नंबर : 91 8291220220 ईमेल: support.baanknet@psballiance.com
किसी भी बोलीदाता पंजीकरण और ईएमडी भुगतान / रिफंड संबंधित प्रश्नों के लिए ईमेल: support.baanknet@psballiance.com कृपया कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान हेल्पडेस्क अधिकारियों से संपर्क करें।
बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित औपचारिकताएं समय से पूर्व पूरी कर ले
चरण: 1 बोलीदाता / खरीदार पंजीकरण बोलीयात्रा को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://baanknet.com/ पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा।
चरण: 2 केवाईसी सत्यापन ई-केवाईसी के हिस्से के रूप में दस्तावेज़ों का सत्यापन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि चरण। और 2 बोलीदाता द्वारा समय से पहले पूरे किए जाने चाहिए।
चरण: 3 ईएमडी राशि इच्छुक बोलीदाता / खरीदार को अपनी स्वीकृत ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड (अर्थात नेफ्ट / टॉसफर / यूपीआई / नेट बैंकिंग) से ईएमडी राशि अग्रिम जमा करनी होगी। यदि स्वीकृत ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो प्रणाली बोली लगाने की अनुमति नहीं देगी। पंजीकरण केवाईसी दस्तावेज़ सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी जमा समय से पहले नीलामी के समय से पूर्व पूरे किए जाने चाहिए। बोलीदाता एक या सभी संपत्तियों के लिए बोली लगा सकते हैं केवल तभी इच्छुक बोलीदाता नीलामी में बोली लगा पाएंगे जब वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी राशि उपलब्ध हो। अंतिम समय पर बोली लगाने से बचें क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया में समय लग सकता है; इसलिए बोलीदाता अपनी सुविधा के लिए अग्रिम ईएमडी जमा करें। कृपया ई-नीलामी के दौरान ईएमडी भुगतान / बोली लगाने के लिए उपलब्ध दिशानिर्देश https://baanknet.com/ कर पालन करें।
चरण: 4 बोली प्रक्रिया और नीलामी परिणाम इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता चरण 1, 2 और 3 पूरा करने के बाद ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।
यदि किसी संपत्ति के लिए केवल एक बोलीदाता है, तो वह बोलीदाता नीलामी में भाग ले और अपनी बोली न्यूनतम बोली वृद्धि राशि के बराबर बढ़ाए अन्यथा वह सफल बोलीदाता घोषित नहीं होगा।
बोली लगाने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और संतुष्ट होना बोलीदाता की जिम्मेदारी है। अधिकृत अधिकारी / बैंक नीलामी की शर्त / बदलने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार रखते है बिना किसी कारण बताए।
अधिकृत अधिकारी सर्वोच्च बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने नीलामी स्थगित/रद्द करने का अधिकार अधिकृत अधिकारी को सुरक्षित है।
अंतिम समय पर बोली लगाने से बचे, क्योंकि न तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न ही सेवा प्रदाता किसी भी तकनीकी विफलता (इंटरनेट / पावर फेल) के लिए जिम्मेदार होंगे।
ऐसी संभावित समस्याओं से बचने के लिए बोलीदाता अपनी तरफ से सभी आवश्यक व्यवस्था / वैकल्पिक उपाय करें, जैसे पावर बैकअप आदि।
अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार किसी भी संपत्ति पर कोई अवरोध नहीं है फिर भी बोलीदाता को संपत्ति के भार, स्वामित्व किसी भी दावों / अधिकारों / देयताओं की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।
ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा संपत्ति सभी ज्ञात और अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के अवरोधों के साथ बेची जा रही है अधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे / अधिकार / देयताओं के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कृपया ई-नीलामी के दौरान ईएमडी भुगतान / बोली लगाने के लिए https://baanknet.com/ पर उपलब्ध दिशानिर्देशों का पालन करें।
कृपया बोली प्रक्रिया शुरू करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर मैनुअल थानपूर्वक पढ़ें
बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी जटिलता के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
नीलामी खरीदार को स्टांप ड्यूटी, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सभी वैधानिक देयताएं, कर, जीएसटी और अन्य वर्तमान एवं भविष्य की देयताओं का भुगतान करना होगा, जो बोली राशि के ऊपर होंगे।
विस्तृत शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट देखें www.centralbankofindia.bank.in

स्थानः मुंबई
दिनांक 22.11.2026

प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
ई-मेल आईडी:agmifh3873@centralbank.co.in

उत्तर भारत में दो दिन घने कोहरे के आसार

नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी के साथ कोहरे का असर भी तेज होने लगा है। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अगले दो दिन घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में भी अगले दो दिनों तक कोहरे का प्रकोप रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, 22 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले दो दिनों तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है। विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर अब खत्म होगया है। चक्रवात शुक्रवार रात 11:30 बजे मध्य ओडिशा के ऊपर स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया।

उत्तीर्ण घोषित अभ्यर्थियों पर असर नहीं

टीईटी

यह है यूपी टीईटी की उत्तरकुंजी का मामला

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 के परिणाम को लेकर आदेश दिया है कि प्रश्न संख्या 36 और 37 की अंतिम उत्तर कुंजी में दो-दो विकल्पों को सही माना था और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए थे, जिन्होंने उन दो विकल्पों में से किसी एक का चयन किया था। इसे लेकर विजय सोनकर और चार अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी। 28 अक्टूबर को एकल पीठ ने दोनों प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करते हुए निर्देश दिया कि 26 अगस्त 2026 को घोषित परिणाम में जो अभ्यर्थी पहले ही उत्तीर्ण घोषित किए जा चुके हैं, उनका परिणाम इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा। जो अभ्यर्थी अब तक सफल घोषित नहीं हो सके हैं, यदि उन्होंने प्रश्न संख्या 36 और 37 को हल किया है (चाहे कोई भी विकल्प चुना हो), तो आयोग उन्हें इन दोनों प्रश्नों के लिए एक-एक अंक प्रदान करे और सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ आयोग ने खंडपीठ में विशेष अपील की। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने दलील दी कि याचियों ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी इसलिए अंतिम परिणाम आने के बाद कुंजी न याचिका पोषणीय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही माने गए दो विकल्पों के अलावा कोई अन्य विकल्प चुना है, उन्हें अंक नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न संख्या 36 या 37 को हल ही नहीं किया है, उन्हें कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा।

नाबालिगों ने युवक और युवती को पीटा

मुंबई। मुंबई के कुर्ला इलाके के एक उद्यान में नाबालिगों के एक समूह ने एक युवक और युवती की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया है।

शुक्रवार को सामने आए वीडियो में करीब 10 साल की उम्र के कुछ लड़कों समेत किशोरों का समूह युवक और युवती को घेरकर डंडे से पीटता, घूंसे और लात मारता दिखाई दे रहा है। जब युवक घटना को रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकालता है तो उस पर सभी एक साथ मिलकर हमला करते हैं। वीडियो में एक नाबालिग बड़ा पत्थर मारता हुआ दिख रहा है।

यूट्यूब से कार की तकनीक सीखना बेहद खतरनाक

■ अरविंद सिंह

नई दिल्ली। आधुनिक कारों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडास) को लेकर सामने आए अंतरराष्ट्रीय शोध और सड़क सुरक्षा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

अध्ययन में सामने आया है कि अधिकांश चालक ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-डिपार्चर वार्निंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को डीलरशिप या मैन्युअल के बजाय यूट्यूब वीडियो देखकर या खुद आजमाकर सीख रहे हैं। अधूरी समझ के चलते चालक इन फीचर्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने लगे हैं, इससे सड़क पर उनकी सतर्कता कमजोर पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी द्वारा 842 ड्राइवरों पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को विहेवियरल अडॉप्टेशन (ईसानी व्यवहार में बदलाव) करार दिया है। अध्ययन में शामिल बड़ी संख्या में चालकों ने माना कि एडास सक्रिय रहने पर वे शीशों और ब्लाइंड-स्पॉट में देखना कम कर देते हैं, जबकि युवा चालकों में वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की आदत बढ़ी है।

एक गलती जानलेवा: अध्ययन के मुताबिक, भारत जैसे देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल करीब 1.83 लाख से अधिक मौतें होती हैं। यहां दोपहिया, पैदल यात्री तथा अनियमित ट्रैफिक एक साथ चलते हैं, वहां एडास को ऑटोमैटिक ड्राइविंग समझना जानलेवा हो सकता है।



प्रशिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, तकनीक अनिवार्य करने की समय-सीमा तय होने के बावजूद देश में आम चालकों के प्रशिक्षण के लिए अभी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। फिलहाल प्रशिक्षण नागपुर के आई-रेस्ट पायलट प्रोजेक्ट और चुनिंदा ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थानों तक ही सीमित है। केवल वाहनों में फीचर अनिवार्य करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि कार डिलीवरी के समय डीलरशिप पर कम से कम 30 से 45 मिनट का व्यावहारिक ओरिएंटेशन, लाइसेंस प्रक्रिया में एडास मॉड्यूल और क्षेत्रीय भाषाओं में सरल गाइड अनिवार्य करनी होगी, तभी एडास का वास्तविक लाभ मिल सकेगा और हादसों पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा।

हिन्दुस्तान भरोसा नए हिन्दुस्तान का
Exam Date Announced
हिन्दुस्तान OLYMPIAD 2026
Ignite Your Competitive Spirit
Financial Literacy Partner
IDFC FIRST Academy
Story Telling Partner
बेल कोल्लू
परीक्षा की तारीख घोषित!
अपनी परीक्षा की तारीख और रोल नंबर जानने के लिए QR कोड स्कैन करें या LiveHindustan.com/Olympiad पर जाएं।
हिन्दुस्तान ओलंपियाड से जुड़े किसी भी सवाल के लिए 9086741825 पर 'Hi' लिख कर WhatsApp करें।
LiveHindustan.com/Olympiad | HindustanOlympiadOfficial | @hindustanolympiadofficial | @HindustanOlympiadOfficial
Associate Sponsor: SBI

प्रकाशक समुद्र भट्टाचार्य द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड (एच एम वी एल) के पक्ष में हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, पाकेट-।।, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं मुद्रक समुद्र भट्टाचार्य द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, पाकेट-।।, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।
प्रधान सम्पादक : शशि शेखर कार्यकारी संपादक : सुनील द्विवेदी * दूरभाष : लखनऊ : पी.बी.एक्स. (0522) 2306201-06, 6663296, फैक्स- 2306220, सम्पादकीय- 2306209, प्रसार- 6663266, विज्ञापन- 2306218, रजि.नं. LW/N.P.- 227, आर.एन.आई. नं. 64319/1996
*सम्पादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी।